प्रेसनोट थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा। **30.09.2021**

अन्तर्राज्यीय स्तर पर ट्रकों के इंजन व चेसिस नंबर को कई बार बदलकर व फर्जी प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 02 अभियुक्तों को एस.टी.एफ. टीम व थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार.....

दिनांक 29.09.2021 को थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में एसटीएफ व पुलिस टीम द्वारा की जा रही चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि शाहदरा चुंगी स्थित गिरीश अग्रवाल के हाते में कुछ लोगों द्वारा विभिन्न प्रान्तों व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ट्रकों को लाकर हाते में खड़ा करके उनके इंजन नंबर व चेसिस नंबर मिटाकर उनकी जगह दूसरे इंजन नंबर चेसिस नंबर की पट्टी लगा दिए जाते हैं व ट्रकों के फर्जी कागजात हाते के अन्दर ही दलालों की मदद से तैयार किये जाते हैं। आज गैंग के कुछ सदस्य हाते में खड़े ट्रकों के इंजन नंबर व चेसिस नम्बर बदल रहे हैं एवं फर्जी कागजात तैयार कर रहे हैं।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंच संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। अभियुक्तगण के कब्जे से 07 अदद ट्रक, फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र, 03 अदद इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर की एलुमिनियम की पट्टी जिस पर इंजन नंबर व चेसिस नम्बर टंकित, 03 अदद मोबाइल फोन, दो अदद ड्राइविंग लाइसेंस, 01 अदद वाहन संख्या यूपी 14 सीक्यू 0303 हुंडई क्रेटा, एक अदद आधार कार्ड, 03 अदद एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड, रुपये 2100 नगद, 01 अदद लुमिनस इन्वर्टर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर मु0अ0सं0 651/21 धारा 419/420/467/468/471/411/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अपना नाम गौतम सिंह व राघवेन्द्र सिंह बताया गया। अभियुक्त गौतम सिंह द्वारा बताया गया कि हम लोगों का फर्जीवाडा करने वाला एक गिरोह है जिसमें चंद्रशेखर, विकेंद्र उर्फ़ विजेंद्र उर्फ़ बीके ठाकुर, जमील, बच्चू बाडीवाला, बनवारी, राजेश कबाड़ी,, पप्पू चश्मा वाला, सुरजीत कबाड़ी, राघवेन्द्र सिंह हैं। हम लोग गिरीश अग्रवाल के हाते की पार्किंग में विभिन्न प्रान्तों एवं उत्तर प्रदेश के अलग–अलग जनपदों से ट्रकों को, अपने सहयोगियों के माध्यम से जिनकी लोन

की किश्तें डिफ़ॉल्ट हो चुकी होती हैं, उन्हें कम दामों में खरीदकर हाते में खड़ा करते हैं एवं गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र जयपुर, राजस्थान के आरटीओ दलालों के माध्यम से तैयार कराकर ट्रकों पर अंकित मूल चेसिस नम्बर को मिटाकर उनके स्थान पर दूसरा चेसिस नम्बर टंकित करा देते हैं। इंजन नंबर व डैशबोर्ड पर लगने वाली मूल पट्टी को निकालकर उनके स्थान पर नसीम द्वारा फर्जी रूप से तैयार की गयी पट्टी को इंजन व डैशबोर्ड पर लगवा देते हैं जिससे कूटरचित रजिस्ट्रेशन प्रपत्र व गाडी के इंजन व चेसिस नंबर एक से हो जाऐं। हम इन गाड़ियों पर फर्जी तरीके से लोन व इन्श्योरेंस कराते हैं, यह फर्जीवाड़ा अनवरत चलता रहता है। हम लोग एक ही ट्रक का कई बार इंजन व चेसिस नंबर बदलकर लोन व इन्श्योरेंस कराकर अवैध रूप से धनार्जन करते हैं व कुछ समय पश्चात् क़िस्त डिफ़ॉल्ट करके उन गाड़ियों का चोरी का मुकदमा लिखवाकर उनका इंजन व चेसिस बदलकर पुनः नया लोन करा लेते हैं।

अपराध करने का तरीका :–

इस गैंग द्वारा पहले विभिन्न स्थानों पर जाकर उन ट्रकों की तलाश की जाती है जिनकी लोन की किश्तें डिफ़ॉल्ट हो चुकी होती हैं, ऐसी ट्रकों को ये लोग सस्ते दामों में खरीद कर इनकी चोरी की एफआईआर थाने या न्यायालय द्वारा दर्ज कराकर उनके फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र व इंजन तथा चेसिस नम्बर की पट्टियाँ बनाकर उन पर पुनः लोन व इन्श्योरेंस कराया जाता है जैसा कि बरामद ट्रक आरजे 14 जीएन 2230 जिसका मूल नम्बर एमपी 07 एचबी 5157 है, के चोरी होने की एफआईआर थाना डौकी, जनपद आगरा में दर्ज कराकर पहले रजिस्ट्रेशन नम्बर एचपी 38 जी 0968 का फर्जी प्रपत्र तैयार कर उसका इंजन व चेसिस नंबर लगाया गया पुनः उसी ट्रक का रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 जीएन 2230 का फर्जी प्रपत्र एवं इंजन चेसिस नंबर की पट्टियाँ बनाकर बदला जा रहा था।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01. गौतम सिंह पुत्र भानुप्रताप सिंह निवासी ग्राम रामनगर पोस्ट बेवर थाना बेवर जनपद मैनपुरी, हालपता नियर गीतांजलि स्कूल ट्रान्स यमुना फेज 2 आगरा।

02. राघवेन्द्र सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी मकान नंबर एफ 346 ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

➢ फरार अभियुक्त का विवरण :–

01. नसीम पुत्र वली मौहम्मद नि0 फरशोरी टोला थाना कोतवाली नगर बदायूँ।

➢ बरामदगी का विवरण :–

01. 07 अदद ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रमशः 1-RJ14GN2230, 2-RJ14GN2231, 3-RJ14GN1185, 4-RJ14GN1186, 5-RJ14GN1187, 6-RJ29GA7543 7-RJ11GB5407

02. फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र क्रमशः– RJ14GN2230, RJ14GN2231, RJ14GN2225, RJ14GN2232.

03. 03 अदद इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर की एलुमिनियम की पट्टी जिस पर इंजन नंबर व चेसिस नम्बर टंकित है।
04. 03 अदद मोबाइल फोन।
05. दो अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
06. 01 अदद वाहन संख्या यूपी 14 सीक्यू 0303 हुंडई क्रेटा।
07. एक अदद आधार कार्ड।
08. 03 अदद एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड।
09. रुपये 2100 नगद
10. 01 अदद लुमिनस इन्वर्टर

- **पुलिस टीम :–**

01. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय मय टीम थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. उ0नि0 अमित तिवारी मय टीम एसटीएफ आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।